

**कार्यालय उप पंजीयक अरड़का, जिला-अजमेर।
वर्तमान डीएलसी की दरें।**

क्र.स.	ग्राम का नाम	वित्त विभाग की अधिसूचना से 10 प्रतिशत वृद्धि दिनांक 26.03.2012 प्रभावी				
		कृषि (रू. प्रति बीघा)		आवासीय (प्रति वर्गफुट)		व्यवसायिक (प्रति वर्गफुट)
		बारानी	चाही	मुख्य सडक	अन्दर	
1	2	3	4	5	6	7
1	अरड़का	40228	56294	32		
2	अरड़का सीकर रोड़ पर 300 मीटर तक	112586	128524			
3	बबाचया	48198	64262	49		
4	बबायचा 1 से 300 मी. सीकर रोड़	321438	321438			
5	चाचियावास	128524	160783			
6	चाचियावास सीकर रोड से 300 मीटर तक	321438	321438	49	42	323
7	छातड़ी	48198	64262	49		
8	हासियावास	32132	35420	32		
9	होशियारा	32132	40228	32		
10	जाटली			32		218
11	कायमपुरा	80329	96364	27		
12	मगरी	32132	40228	17		
13	मगरा	32132	40228	17		
14	नरवर	128524	160783	42		
15	नरवर सीकर रोड़ 300 मी. तक दोनो ओर	192914	241110	53		
16	पदमपुरा	24163	32132	17		
17	रामनेर की ढाणी	64262	80329	29		
18	रामनेर की ढाणी किशनगढ़ सम्पर्क से दोनो और 300 मी. तक	208978	241110	32		
19	सराना	40228	48198	32		
20	उंटड़ा	88425	96394	32		

नोट :-

1. कार्नर प्लाट होने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ते हुए मूल्यांकन किया जावे।
2. रीको क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के हस्तान्तरण होने पर रीको की आरक्षित दर से मूल्यांकन किया जावे।
3. जहां दरें निर्धारित नहीं है वहाँ पड़ोसी क्षेत्र की दर से मूल्यांकन किया जावे।
5. नलकूप/ बोरिंग की मालियत की गणना 1.50 लाख एवं कुंआ 1 लाख रुपये से की जायेगी
6. संस्थागत, कम्पनियों एवं फर्मों द्वारा कृषि भूमि खरीद करने पर सम्बन्धित कृषि भूमि की 2 गुणा दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
7. कनवर्ट संपरिवर्तित कृषि फार्म हाउस की दर सम्बन्धित कृषि भूमि की दो गुणा रहेगी।
8. ग्रामिण क्षेत्र में कृषि भूमि के रास्ते/ कुएँ हेतु कृषि भूमि खरीदने पर सम्बन्धित कृषि भूमि की दो गुणा दर से मूल्यांकन किया जायेगा।